तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर आहकाम हुक्म में
11/12/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w. O. 39 R1&2 CPC के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा - 212 RT Act r.w. O. 39 R1&2 CPC के प्रा० पत्र को adjudicate करने के लिए इसे निम्न 03 बिन्दुओ पर जाँचना आवश्यक है :- (अ) <u>प्रकरण प्रथम दृष्टया</u> :- आर्थी० प्रार्थीगण द्वारा बहस प्रा० पत्र के दौरान कथन किया कि ग्राम सुनेल की वादग्रस्त आराजी हाल ख० न० 1292 रकबा 1.4670 हैक्टे० एवं ख० न० 1298 रकबा 1.4796 हैक्टे० कुल किता 2 कुल रकबा 2.9466 हैक्टे० अप्रार्थीगण के खाते की आराजी है लेकिन विगत 100 वर्षों से प्रार्थीगण के पूर्वजों एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजों का हिस्सा ½-½ पर शांतिपूर्ण कब्जाकाश्त चला आ रहा है। दोनो ही पक्षों ने अपने-2 हिस्से ½-½ का वर्षों से भू-सुधार एवं विकास किया है। आर्थी० प्रार्थी द्वारा आगे तर्क किया कि वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट से वर्षों से पूर्व से मूलत: प्रार्थी के [illegible] बल्द मिठू एवं अप्रार्थीगण के पू[illegible] बल्द [illegible] हिस्सा ½-½ [illegible] खातेदारी [illegible] थी लेकिन [illegible] राजस्व [illegible] द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही जमाबंदी की मूल प्रविष्टियों (entries) में कांट-छांट कर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज (7)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
कान्हा व अमरा पि० दयाराम बलाई कर दिया गया जबकि दयाराम के बेटे का नाम नानूराम था जो प्रार्थी के पिता जी थे। कान्हा व अमरा दोनों भाई नहीं थे बल्कि अमरा के बेटे का नाम कान्हा था। कान्हा व अमरा के पिता का नाम कभी दयाराम नहीं था। कान्हा व अमरा पिता दयाराम बलाई नाम से सुनेल मे कोई भी व्यक्ति नहीं होने पर अप्रार्थीगण ने तात्कालीन पटवारी व अन्य राजस्व कार्मिकों से सांठगांठ कर संवत 2061-64 के दौरान गैर कानूनी रूप से तथ्यों की जाँच पड़ताल किये बिना एवं मौका स्थिति देखे बिना अवैध फौती नामा० सं० 2111 दर्ज कर अमरा व कान्हा पिता दयाराम की जगह अप्रार्थीगण का नाम दर्ज कर दिया गया। अमरा पिता दयाराम का नाम भी डिलीट कर दिया गया। अतः अप्रार्थीगण प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभावशून्य फौती नामा० सं० 2111 से गलत तरीके से ही खातेदार दर्ज हुए है। अभि० प्रार्थी ने आगे तर्क किया कि तहसीलदार सुनेल की मौका रिपोर्ट दिनांक 22/11/2024 में भी कब्जा प्रार्थी का बताया गया है। प्रार्थी के पिता नानूराम ने उक्त कृषि भूमि पर ग्राम सेवा सहकारी समिति सुनेल से वर्ष 2004 से पूर्व [illegible] ऋण ले रखा है। [illegible] समिति ने [illegible] नियमों के अधीन [illegible] कृषि ऋण प्रदान किया था। प्रार्थी द्वारा ही पूर्व में अपने हिस्से का भू राजस्व लगान का सरकार को	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	भुगतान किया गया था। प्रार्थी के पास तहसील सुनेल मे वादग्रस्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी भूमि नहीं है (No land other than this disputed land)। अतः मूल राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के दादाजी दयाराम के हिस्से 1/2 पर रिकार्डेड खातेदार होने, राजस्व कार्मिको द्वारा गैर कानूनी रूप से प्रार्थी के पिता का नाम डिलीट (delete) करने, कान्हा व अमरा पिसरान दयाराम बलाई नाम का कोई व्यक्ति एवं पहचान पत्र नहीं होने पर राजस्व कार्मिको द्वारा षडयंत्र पूर्वक नामान्तरण स0 311 दर्ज करना (अवैध रूप से अप्रार्थीगण के पक्ष मे), हिस्से 1/2 पर विगत 100 वर्षों से प्रार्थी व पिता का कब्जाकाश्त (possession) होने, वादग्रस्त भूमि पर भू राजस्व लगान का भुगतान करने, ग्राम सेवा सहकारी समिति सुनेल से कृषि ऋण स्वीकृत करना और TDR Sunel की मौका दिनांक 28/11/2024 आदि आधार पर प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे है।
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डग जिला झालावाड़	अभि0 अप्रार्थी 1 द्वारा उक्त बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण वर्तमान मे रिकार्डेड खातेदार कृषक है और कब्जाधारी भी है [illegible] अप्रार्थीगण के विरुद्ध स्थगन जारी [illegible] प्रार्थी का हक नहीं [illegible] है। आदि तर्क किया कि वादग्रस्त आराजी मूलतः गणेशा बलाई के खाते दर्ज थी जो इनकी मृत्यु के बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

...रीख ...म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज (8)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	इनके पुत्र - काना व अमरा - के खाते दर्ज हुई थी लेकिन राजस्व कार्मिको द्वारा गलत तरीके से राजस्व रिकार्ड में काना व अमरा के पिता का नाम गणेश की जगह दयाराम दर्ज कर दिया था। राजस्व कार्मिको द्वारा गैर कानूनी रूप से, जो पिता का नाम दयाराम दर्ज किया था, उसका अनुचित फायदा उठाकर प्रार्थी झूठा वारिस बनकर गलत तथ्यो पर यह प्रा० पत्र एवं वाद (suit) पेश किया है। प्रार्थी द्वारा इस प्रधान प्रा० पत्र के पैरा न० 4 में जो पारिवारिक सजरा (family tree) दर्शाया है - वह सही होने से स्वीकार योग्य है लेकिन इस family tree से प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि में कोई खातेदारी हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण भिन्न-भिन्न परिवार के है। आगे तर्क किया कि इंदौर रियासत की जमाबंदी संवत 1936-37 के सफा न० 33 में खातेदार का नाम अमरा वल्द गणेश दर्ज है खातेदार का नाम अमरा वल्द गणेश दर्ज होकर काबिज काश्त भी दर्ज है जिससे साबित है विगत 100 वर्षो से अप्रार्थीगण का ही कब्जा चला आ रहा है। आगे तर्क किया कि प्रार्थी द्वारा पेश ... सहित ... सुनेल की खाड/बीज ... नम्बर का अंकन है और ना ही कब्जा अंकित है। अत: यह साबित नहीं है कि प्रार्थी के	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सुनेल जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	पिता नानूराम ने वादग्रस्त भूमि पर ही कृषि ऋण लिया हो। भू राजस्व / लगान की रसीदों (receipts) पर भी कोई Khasra No. या खाता सं० अंकित नहीं है। अत: प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन दोनों अप्रार्थीगण के पक्ष में है।
	उभयपक्ष की बहस प्रा०फा के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। it is undisputed fact that family tree shown in Para No 4 of this application u/s 212 RTA, is correct and true. It means Mr. Nanuram was Son of Mr. Dayaram, and Mr. Mithu is father of Mr. Dayaram Mr. Amra is son of Mr. Ganesh and Mr. Amra is father of Mr. Kana (Kanha). Non-applicants No 1 Balaram is son of Mr. Kana (Kanha).
	प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम सुनेल की वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत 2022-41 में वादग्रस्त आराजी काना, अमरा पि० दयाराम बलाई के खाते दर्ज थी। जमाबंदी संवत 2053-56, 2057-60, 2061-64 में भी वादग्रस्त आराजी काना अमरा पि० दयाराम बलाई के खाते दर्ज थी जबकि family tree के अनुसार काना, अमरा पिता दयाराम बलाई नाम का कोई भी व्यक्ति प्रार्थी व अप्रार्थीगण के परिवार में नहीं था दयाराम के पुत्र का नाम नानूराम था जबकि अमरा के पिता का नाम गणेश एवं काना के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज (7)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
पिता का नाम अमरा बलाई था।	
जमाबंदी संवत 2065-68 के अवलोकन से साफ है कि नामा० स० 2111 तस्दीक कर राजस्व कार्मिको द्वारा बालाराम, भैरूलाल, रमेशचन्द्र, मांगीबाई व शकुन्तलाबाई पिसरान काना एवं रामचन्द्रीबाई बेवा काना बलाई के पक्ष मे फौती नामान्तरण दर्ज किया गया। नामा० स० 2111 दिनांक 04/01/2005 TDR/NTDR द्वारा कैम्प सुनेल मे निर्णीत किया गया था। नामान्तरण पंजिका के पृष्ठ पर column No 16 मे हल्का पटवारी ने काना ही फौत होना बताकर काना पिता दयाराम का फौती इंतकाल अप्रार्थीगण के पक्ष मे दर्ज किया था जबकि काना पिता दयाराम नाम को कोई व्यक्ति ही नहीं था। इसी नामान्तरण मे हल्का पटवारी व TDR ने सहखातेदार अमरा पिता दयाराम का बिना किसी आधार एवं टिप्पणी किये कम (Delete) ही कर दिया गया अतः TDR/NTDR द्वारा निर्णीत किया गया उक्त नामान्तरण स० 2111 दिनांक 04/01/2005 प्रारम्भ से ही अवैध एवं प्रभावशून्य [illegible] होता है। [illegible] इस mutation No 2111 [illegible] खातेदारी भी अवैध व प्रभावशून्य [illegible] initio) प्रतीत होती है। ग्राम सुनेल की इंदौर स्टेट की जमाबंदी संवत 1993-94 सन्	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	1936-37 (मौजा सुनेल, परगना - सुनेल, जिला रामपुरा - भानपुरा) के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक (गत) ख०नं० 396/2, 406/1, 406 (जिनके सेटलमेंट में नये ख०नं० 1292 व 1298 बनाये गये) अमरा वल्द गणेश, व दयाराम वल्द मिट्ठू बलाई के खाते दर्ज थी। अमरा के बाद वादग्रस्त आराजी काना वल्द अमरा हिस्सा 1/2 एवं नानूराम वल्द दयाराम हिस्सा 1/2 दर्ज होनी चाहिऐ थी लेकिन राजस्व कार्मिकों की लिपीकीय त्रुटि के कारण काना अमरा पि० दयाराम के खाते दर्ज कर दी गई जबकि इस नाम मय वल्दियत से कोई खातेदार ही नहीं है। जहां तक प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम सेवा समीति सुनेल के कृषि ऋण, खाद/बीज आदि की पावतियो का प्रश्न है — इन Loan sanction passbook and receeipts मे किसी खाता सं० या खसरा नम्बर का तो उल्लेख नहीं है लेकिन इनसे प्रार्थी की कृषि भूमि पर कृषि कार्यों द्वारा loan sanction किया जाना और लम्बे समय तक ऋण खाता चालू रहना अवश्य जाहिर होता है। प्रकरण मे प्रथम दृष्या प्रतीत होता है कि प्रार्थी के नाम/कब्जे मे उक्त वादग्रस्त भूमि हिस्सा 1/2 के अतिरिक्त अन्य कोई कृषि भूमि नहीं है (Applicant seems to haven't no [illegible] this disputed land) अत: जब प्रार्थी के नाम / [illegible] मे अन्य कोई कृषि भूमि [illegible] होता है, तो ग्राम सेवा सहकारी समिति सुनेल द्वारा इसी वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी को कृषि ऋण जारी करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
प्रतीत होता है अर्थात वादग्रस्त भूमि के हिस्से 1/2 पर प्रार्थी का कम से कम 32 वर्षों पुराना (Thirty two) कब्जाकाश्त है।	
इसी प्रकार मध्य भारत शासन के रेवेन्यू बोर्ड के मालविभाग द्वारा जारी किसानी पावती सन् 1956-57 (संवत 2013) के ग्राम सुनेल परगाना पिड़ावा जिला झालावाड़ के खाता नम्बर 98 कित्ता 2 रकबा 7-01 बीघा के अवलोकन से प्रतीत होता है कि खातेदार का नाम कान्हा व दयाराम पिता का नाम अमरा व मिट्ठू जाति बलाई था अर्थात खातेदारान का नाम कान्हा वल्द अमरा एवं दयाराम वल्द मिट्ठू जाति बलाई था ~~अतः प्रथम~~ इसी प्रकार का अंकन किसानी पावती बुक (ग्राम सुनेल) सन् 1954-55 (संवत 2011-12) में अंकित है।	
अतः प्रथम दृष्टया साबित है कि वादग्रस्त भूमि मूलतः अमरा वल्द गणेश एवं दयाराम वल्द मिट्ठू बलाई के खाते दर्ज थी जो सन् 1955-56 में कान्हा वल्द अमरा एवं दयाराम वल्द मिट्ठू के खाते दर्ज हुई थी।	
इसी प्रकार मध्य भारत शासन की लगान मांग पत्र संवत 2014-2015 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि खातेदारान का सही अंकन कान्हा वल्द अमरा एवं दयाराम वल्द मिट्ठू बलाई है जिसे बाद में राजस्व कार्मिकों / ... के कार्मिकों द्वारा लिपिकीय ... कान्हा वल्द दयाराम अंकित कर दिया गया जो प्रथम दृष्टया विधि विरुद्ध एवं अपास्त है।	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही या मय इशारा ...

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे साबित है।

(ब) सुविधा का संतुलन :- प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे साबित है। अप्रार्थीगण भले ही सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड मे खातेदार दर्ज है लेकिन ना केवल नामान्तरण क्र० 311 दिनांक 04/01/2005 प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभावशून्य (void-ab-initio) जाहिर है बल्कि राजस्व / संलग्न कार्मिको द्वारा जमाबंदी की original entry कान्हा वल्द अमरा एवं दयाराम वल्द मिठ्ठू बलाई को गलत रूप से change करके काना अमरा वल्द दयाराम बलाई कर दिया था जबकि इस नाम का तो कोई खातेदार था ही नहीं। अप्रार्थीगण गलत व विधिविरुद्ध इन्द्राज एवं नामान्तरण से खातेदार दर्ज हुए है। प्रार्थी द्वारा पेश शपथ पत्र AW1 व AW2 के सशपथ बयानो, पेश मध्य भारत शासन के रेवन्यू बोर्ड की किसान पावती बुक, लगान मांग पत्र संवत 2013-15, ग्राम सेवा सहकारी समिति सुनेल द्वारा वर्ष 1998 से पूर्व जारी कर्ज ऋण पावती, परगना पिडावा के सुनेल ग्राम की किस्तबंदी खतौनी (आसामीवार) संवत 2013-16 (सन् 1954-56), तहसील भानपुरा जिला मंदसौर के ग्राम सुनेल की सूची पटेल बाबत मतालबा (रैयतवारी) साल 1954-55 आदि के आधार पर ... खाता का कब्जा (possession) भी प्रार्थी ... दयाराम वल्द मिठ्ठू का होना साबित ... अतः यदि स्थगन जारी कर प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो एव अन्य कानूनी अधिकारो का संरक्षण नहीं किया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज (11)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

गया और अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज होने मात्र का अनुचित लाभ उठाकर बेचान या अन्य अंतरण किया जाता है तो ना केवल प्रार्थी को राजस्व कार्मिकों की गलती के कारण अपने अधिकारों से वंचित (deprived) रहना पड़ेगा वाल्कि प्रकरण मे वाद-बहुलकता (multiplicity of suits) भी बढ़ेगी बढ़ेगी। अतः प्रकरण मे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे साबित है।

(स) अपूरणीय क्षति :- प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। यदि प्रथम दृष्टया गलत नामान्तरण सं० 811 एवं गलत इन्द्राज परिवर्तन से खातेदार बने अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि मे हिस्सा 1/2 से अधिक बेचान करते है तो प्रार्थी को ना केवल अपने Khatedari rights से वंचित होना पड़ेगा बल्कि पैतृक संपति के अधिकारो के साथ अन्य legal rights से भी वंचित होना पड़ेगा और ऐसी स्तिथि मे अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r/w O. 39 R 1 व 2 CPC स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण मय उपसंबंधित सुनेल को तादैसलामूलवाद इस आशय की अस्थाई [illegible] किया जाता है कि वे ग्राम [illegible] आराजी ख० नं० 1292 व 1298 [illegible] हैक्टे मे प्रार्थी के हिस्से 1/2 व कब्जे [illegible] की भूमि का ना तो रहन, बेचान, दान, हकत्याग आदि करे और ना ही प्रार्थी को बेदखल करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:07 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	प्रकरण पैसलशुमार हेकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner